न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्याः– 74/2011

1. पदम पुत्र श्री भगवानदास जाति माली निवासी सूरजपोल गेट, भरतपुर।

2. प्रेमसिंह पुत्र श्री भगवानदास, जाति माली निवासी सूरजपोल गेट, भरतपुर–मृत्तक

2/1– श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी स्व0 प्रेमसिंह | जाति माली निवासी सूरजपोल
2/2– लक्ष्मण पुत्र स्व0 प्रेमसिंह | गेट भरतपुर (राज0)

2/3– रेखा आयु 17 साल | पुत्रियां स्व0 | नाबालिगान वरविलायत माता खुद
2/4– गीता आयु 15 साल | प्रेमसिंह | कमलेश
2/5– बबीता आयु 9 साल |
2/6– रवि आयु 13 साल | पुत्रगण
2/7– गोपाल आयु 11 साल | प्रेमसिंह

3. यादराम | पिसरान भगवानदास जाति माली निवासी सूरजपोल गेट, भरतपुर
4. मोहनसिंह
5. चरनसिंह

Web Copy - Not Official

......................वादीगण

<u>बनाम्</u>

1. गिर्राज | पिसरान | जातियान माली निवासी सूरजपोल गेट, भरतपुर
2. श्रीचन्द | रामप्रसाद
3. नन्दलाल
4. अंगूरी देवी पुत्री रामप्रसाद
5. कलादेवी पत्नी पूरन
6. देवीसिंह पुत्र पूरन जाति माली निवासी सूरजपोल गेट, भरतपुर।
7. हेमा पुत्री पूरन पत्नी निन्नू | जाति माली निवासी हाल बंगाली कॉलौनी,
8. चम्पा पुत्री पूरन पत्नी भग्गों | बिरला मंदिर, मथुरा (उ0प्र0)

9. फूलन पुत्री पूरन पत्नी दौलत जाति माली निवासी हाल डिप्टी का नगला पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

1. सावित्री पुत्री पूरन जाति माली निवासी सूरजपोल गेट भरतपुर (राज0)

2. रघुवीर	पुत्रगण	जातियान माली निवासीयान मौहल्ला,
3. तोता	सोहनलाल	गोपालगढ़, भरतपुर
4. भगवानसिंह		
5. रमेश		
6. विनोद		
7. महावीर		
8. मंगली बेवा सोहनलाल		

9. पूरन पुत्र शोभाराम जाति माली निवासी सूरजपोल गेट बाहर, भरतपुर

10. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोपालगढ़, भरतपुर

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः—

1. श्री सुगड़सिंह
   अभिभाषक वादीगण
2. पी0एल0 मुदगल
   अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः— 03.01.2018

वादीगण द्वारा दिनांक 13.04.2011 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय के साथ पेश किया कि उभय पक्षकारान पूर्वजगण के वंशज है। जिसका वंश वृक्ष निम्न प्रकार से हैः—

(पदम वगै0 बनाम् गिर्राज वगै0)

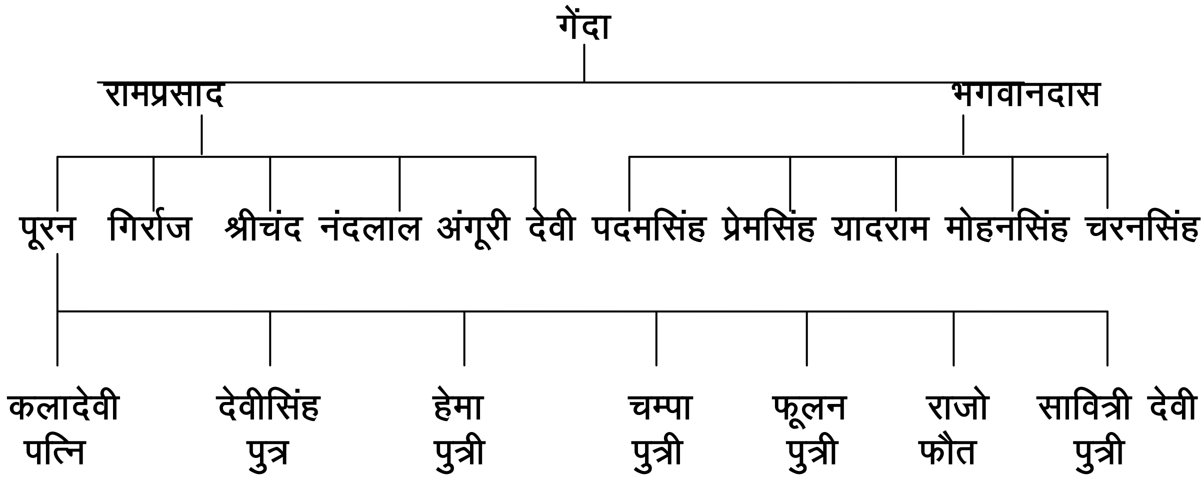

राजो पुत्री पूरन का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी वारिस उसकी एक मात्र उसकी माँ कलादेवी है जो पूर्व से ही इस प्रकरण में पक्षकार मुकदमा है इसलिए राजो को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है।

विवादित आ0ख0नं0 1884/0.09, 1885/0.09, 1886/0.04, 1888/0.04, 1896/0.04, 1898/0.04 व 1899/0.10 किता 7 रकवा 0.44 ऐयर बांके कस्बा भरतपुर चक नं0 2 में स्थित है जो किसाविक खसरा नं0 1397, 1398, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418 व 1488 से बने है। विवादित आराजी वादीगण के स्वार्गीय बाबा श्री गैंदा के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर स्वार्गीय श्री गैदा काबिज रहकर अपने जीवनकाल में काश्त करते रहे स्वर्गीय श्री गैदा के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी पर पिता श्री भगवानदास व रामप्रसाद विरासतन काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। वादीगण के पिता श्री भगवानदास के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी के निस्फ हिस्से पर वादीगण व हिस्सा बराबर काबिज रहकर ताहाल काश्त कर रहे है व श्री रामप्रसाद के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण विवादित आराजी के निस्फ हिस्से पर काबिल रहकर काश्त कर रहे है। इस प्रकार विवादित आराजी के निस्फ हिस्से पर वादीगण वाहिस्सा बराबर व निस्फ हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे है। गैदा के स्वार्गवास के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के स्वर्गीय पिता भगवानदास व प्रतिवादीगण के पिता व बाबा श्री रामप्रसाद को खातेदार काश्तकार राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज करना चाहिये था मगर राजस्व कर्मचारियों ने गैदा के स्वर्गवास के वादीगण के पिता भगवानदास के बड़े भाई

Web Copy - Not Official

रामप्रसाद के नाम खिलाफ मौका व कानून न्यारान्यूर खातेदारी के इन्द्राजात अकेले रामप्रसाद के नाम अंकित कर दिया जिसका कोई इल्म वादीगण को नही था। रामप्रसाद के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी पर विरासतन प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी के इन्द्राजात राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकित कर दिये गये जिनके रहने से वादीगण को सख्त हक तलफी है जिन्हे वादीगण निरस्त कराकर विवादित आराजी के निस्फ हिस्से पर अपने आपको व हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। विवादित आराजी के शेष निस्फ हिस्से पर प्रतिवादीगण के नाम यथावत रहेगे। प्रतिवादी के नाम सम्पूर्ण विवादित आराजी पर अकेले प्रतिवादीगण के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राजात का वादीगण को कोई इल्म नही था मगर दिनांक 08.04.2011 को राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राजात का वादीगण को इल्म हुआ तो वादीगण ने उक्त इन्द्राजात को दुरस्त कराने हेतु प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्द्राजात सही कराने से स्पष्ट इन्कार करते हुए व एलानिया धमकी दी कि अब वह वादीगण को विवादित आराजी में काश्त नही करने देगे व उन्हे जबरन बेदखल कर कही दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल कर देगे अगर प्रतिवादीगण अपने इरादे में कायमाब हो गये तो वादीगण को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद से सम्भव नही है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रार्थना की गई कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 4 वाद पत्र पर हो रहे मौजूदा इन्द्राजात को निरस्त कर वादीगण को विवादित आराजी के निस्फ हिस्से पर वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। शेष निस्फ हिस्से पर प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखे जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। न्यायोचित दादरसी जो हक वादीगण हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

जवाबदावा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 व 6 की ओर से निम्न प्रकार पेश किया। गैंदा के वारिसान के बावत् सजरा गलत पेश किया गया है। गैंदा के वारिसान में दो पुत्र व तीन पुत्रियाँ भी और उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान

को भी सजरे में दर्शित नही किया गया है। वादी द्वारा इस मद में यह स्पष्ट नही किया गया है कि किस हाल ख0नं0 का कौन सा साबिक खसरा नं0 है व साविक ख0नं0 कितने कितने के है। वादी द्वारा अस्पष्टता के साथ मद अंकित की है। जो स्वीकार योग्य नही है। विवादित आराजी पर राज0 काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने के समय या उसके पश्चात कभी भी स्व0 गैदा पुत्र निनुआ का कोई कब्जा काश्त नही रहा न ही काश्त की बल्कि हम प्रतिवादीगण के पिता/बाबा स्व0 रामप्रसाद का ही राज0 काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने के समय कब्जा काश्त था व वही विवादित आराजी के साविक नम्बरान पर अपने जीवनकाल तक न्यारानूर काश्त करते थे और अब उनकी मृत्यु उपरान्त हम प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को अपने उपयोग व उपभोग से लेकर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा वर्तमान में आबादी के कार्य में आ रही है जिस पर हम प्रतिवादी के मकानात बने हुए है व कुछ हिस्से को हम प्रतिवादी ने दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल भी कर दिया है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण व उनके पिता भगवानदास का किसी भी हिस्सा आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है और न ही वर्तमान में वादीगण उक्त आराजी को कृषि कार्य में लिया जा रहा है। वादीगण ने हम प्रतिवादीगण के भाई बन्द होने के कारण हम प्रतिवादी की आराजी को हड़पने के उद्देश्य से यह दावा पेश किया है। राजस्व कर्मचारियेां द्वारा हम प्रतिवादी के पिता/बाबा श्री रामप्रसाद के नाम सही रूप से इन्द्राजात दर्ज किये गये है भगवानदास का कोई कब्जा नही होने के कारण उनके नाम इन्द्राजात दर्ज नही है। इस तथ्य का वादीगण व उनके पिता भगवानदास को पूर्णतयाः इल्म था। स्व0 रामप्रसाद के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व कर्मचारियों ने जरिये विरासतन हम प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राजात इन्तकाल नं0 40 से दर्ज किया है जो वाद जांच व मौके की जांच उपरान्त दर्ज किया गया था उक्त इन्तकाल विरासत के आधार पर जो चढ़ा है उसका भी वादीगण को पूर्ण ज्ञान था। प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राजात का इल्म वादीगण को भगवानदास के जीवनकाल से ही वखूवी था दिनांक 08.04.2011 का इल्म होने का जो आधार

व धमकी दिया जाना दर्ज किया गया है जो कतई गलत है। जब वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राजात ही नही है न कब्जाकाश्त है तो वादीगण को धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है समस्त तथ्य मनगढ़न्त दर्ज किये है। वदी वजह वादीगण हम प्रतिवादी के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिये जाने का कोई कारण स्पष्ट नही कर पाने के कारण स्वीकार नही है। चूंकि आराजी कृषि के कार्य में नही आ रही है आबादी के काम में लाई जा रही है व मौके पर हम प्रतिवादी के मकानात आराजी पर बने हुए है ऐसी सूरत में अन्तर्गत धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा वादी का सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को हासिल नही है।

आराजी मुतनाजा के साविक ख0नं0 पर प्रतिवादी के बाबा रामप्रसाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने के समय अर्थात सं0 2012 में व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज थे, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रतिवादीगण के बाबा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। जिस पर स्व0 रामप्रसाद अपने जीवनकाल तक काबिज होकर काश्त करते थे उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी आराजी मुतनाजा को अपने उपयोग उपभोग में ले रहे है जिससे वादीगण का कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण को प्रतिवादीगण ने अपने कुटुम्बी भाई बन्द होने के कारण आराजी मुतनाजा के एक हिस्से पर वाडी आदि करने के लिये बतौर किरायेदार आराजी को एक साल के लिये दिया था परन्तु वादीगण के लट्ठ के जोर पर उक्त हिस्से पर अपना मकान निर्माण कर लिया है और आराजी प्रतिवादीगण को खाली नही कर रहा है। अतः वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त परेशान करने की नीयत से पेश किया है।

उभय पक्षकारान के अभिभाषकों की उपस्थिति में निम्न तनकीयत कायम की गई।

तनकी सं0ः 1– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी से वर्तमान अंकन कलमजन कर आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं को व शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है ? .... वादी

तनकी सं0ः 2– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है।

.......................वादी

<u>तनकी सं0: 3–</u> आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के बाबा सम्वत् 2012 के खातेदार थे। उन्होने आराजी के एक हिस्से को एक वर्ष के लिये किराये पर दे दिया था। जिस पर वादीगण ने जबरन पक्का मकान बना लिया है। महजतंग व परेशान करने को झूठा दावा पेश किया है।

.... प्रतिवादी

<u>तनकी सं0: 4– दादरसी ?</u>

वादी द्वारा अपने दावा के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2004–06, नकल मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्ती,, नकल नक्शा अक्स हाल व गत को पेश किया। साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान वादी पदम **PW-1,** हरीसिंह PW-2, गोपाल PW-3, साक्ष्य प्रतिवादी ने शपथ पत्र ओमप्रकाश DW-1 सोमोती DW-2 श्रीचन्द DW-3 देवीसिंह DW-4 पेश किये गए। पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की। प्रतिवादी की साक्ष्य पूर्ण की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:–

<u>तनकी नं0 1:–</u> आया वादी वादग्रस्त आराजी से वर्तमान अंकन कलमजन कर आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं को व शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का है। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के स्वर्गीय बाबा गेंदा के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी थी। गेंदा के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त आराजी पर वादीगण के पिता भगवानदास व प्रतिवादीगण के पिता रामप्रसाद विरासतन काबिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार

वादीगण और प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्से के हिस्सेदार है। किन्तु गेंदा के स्वर्गवास के बाद राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी को वादीगण के पिता

भगवानदास के बड़े भाई रामप्रसाद के नाम खातेदारी के इन्द्राज कर दिये जबकि रामप्रसाद व भगवानदास दोनो को बराबर–बराबर रकवा के हिस्सेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिए था।

वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है। वादीगण के दावा के तथ्यों के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजी को पैतृक आराजी को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करना आवश्यक था किन्तु इस बावत् वादीगण द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे आराजी पैतृक सिद्ध होता हो। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि संवत 2012 के बाद आराजी प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। केवल मात्र प्रतिवादीगण के पिता रामप्रसाद का वादग्रस्त आराजी के नाम दर्ज होने से यह कयास नही लगाया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है। वादी श्री पदम की साक्ष्य शपथ पत्र (PW-1) की जिरह में वादी ने कथन किया है कि भगवानदास की 3 बहने थी जिनका नाम गिर्राजी, नत्थों, सोमोती है। तीनों के बच्चे जीवित है। एकाध की मृत्यु हो गयी है। इस प्रकार सजरा भी गलत प्रतीत होता है। एक मिनिट के लिए यह मान भी लिया जावे कि रामप्रसाद और भगवानदास सगे भाई होने के कारण यह आराजी पैतृक है किन्तु रामप्रसाद के नाम उक्त आराजी संवत 2012 के बाद से उसके नाम दर्ज रिकार्ड है तो लगभग 50 वर्ष तक अपने हिस्से के विभाजन हेतु भगवानदास की न्यायालय में दावा नही लाना सन्देहास्पद प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के इन्द्राज संवत 2012 के बाद निरन्त रहे है जिनको वादीगण गलत सावित करने में असफल रहे है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वादपत्र के तथ्यों को सिद्ध नही किया है। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी नही है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>तनकी सं0 2:–</u> आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है। इस तनकी का सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी वादीगण की है। वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपना वाद पत्र सिद्ध नही कर पाये है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रहे है। इस रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है कि वादग्रस्त आराजी के एक हिस्से पर वादीगण ने पक्का मकान बना लिया हो और न ही इस प्रकार की कोई सक्षम अधिकारी की मौका रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

दादरसीः– चूंकि तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जा चुका है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद हमारे न्यायिक मत में साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 03 जनवरी 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official